राजस्व अपील संख्या : 32/2025

उनवान : दौलत चौधरी बनाम स्व. मूलकी के का.मु. वारिसान कीकली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 32/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/140

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
दौलत चौधरी पुत्र नेमाराम जाति जणवा चौधरी निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली राज.		स्व. मूलकी पुत्री खेताराम पत्नी चुनाराम के का.मु. वारिसानः– 1.1 कीकली देवी पुत्री चुनाराम 1.2 गोमली पुत्री चुनाराम 1.3 घीसाराम पुत्र चुनाराम 1.4 डोवरराम पुत्र चुनाराम तमाम जातिगण जणवा चौधरी निवासीलगण नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा नारलाई के नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 28.01.2025 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णयः–

दिनांकः **29.04.2026**

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा नारलाई के नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 28.01.2025 के विरुद्ध पेश की गई।** अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नारलाई तहसील देसूरी में स्थित खसरा नम्बर 2505, 2506, 2510, 2511, 2512, 2513, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2530/2596, 2531, 2541, 2542, 2543, 2544 कुल खसरा 25 कुल रकबा 33.6800 हैक्टेयर की भूमि में मूलकी पुत्री खेताराम का 1/108 वा हिस्सा खातेदारी का पैतृक पुश्तैनी आता था। जो हिस्सा मूलकी ने तारीख 26.09.2018 को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के अपीलाण्ट के पक्ष में तर्क कर दिया। जिस हंकतर्कनामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय देसूरी में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 203 में पृष्ठ संख्या 117, क्रम संख्या 201803193101722 पर दिनांक 26.09.2018 को पंजीबद्ध हुआ है। उपरोक्त हकतर्कनामा पंजीबद्ध करने से पूर्व से ही मूलकी के हिस्से पर अपीलाण्ट का कब्जा व काश्त था एवं हकतर्कनामा रजिस्टर्ड होने के बाद मूलकी के 1/108

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 32/2025
उनवान : दौलत चौधरी बनाम स्व. मूलकी के का.मु. वारिसान कीकली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

हिस्से का खातेदार काश्तकार कानूनन अपीलाण्ट हो गया। अपीलाण्ट किसी कारणवश उपरोक्त हकतर्कनामें का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं करवा सका एवं राजस्व रिकॉर्ड में मूलकी का नाम ही खातेदार के रुप में दर्ज चलता रहा। इस बीच मूलकी द्वारा लोगो की सिखावट में आकर गलत व निराधार आधार पर हकतर्कनामें को निरस्त करवाने का एक सिविल दावा सिविल जज देसूरी के न्यायालय में पेश किया एवं दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र भी तारीख 04.12.2019 को पेश किया गया था। जिस स्थगन आदेश में सिविल न्यायाधीश देसूरी ने अपने आदेश दिनांक 02.03.2020 में आदेश पारित किया की मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तक की हद तक स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पक्षकारान को आदेश दिया जाता है कि वह ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि की आज दिनांक की मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। उपरोक्त आदेश की अनुपालना में अपीलाण्ट दौलत के साथ साथ पटवारी हल्का नारलाई, तहसीलदार देसूरी व उपपंजीयक देसूरी, भी बनाये गये थे। मूलकी की मृत्यु होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय चार मूल वाद में पक्षकार बने एवं उन्हें स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी रही है। बावजुद इसके रेस्पोडेण्ट संख्या एक से चार ने रेस्पोडेण्ट संख्या पांच से मिलावट कर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 13.12.2024 को पटवारी हल्का से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए भरवा दिया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या पांच ने उपरोक्त नामान्तरकरण को तारीख 30.01.2025 को स्वीकृत कर दिया। जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील अपीलाण्ट की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह है कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विधान एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल खारिज है।
2. यह है कि अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा हो गया था लेकिन मूलकी द्वारा गैर कानूनी रुप से एतराज कर सिविल न्यायालय देसूरी ने भी वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का तारीख 02.03.2020 को आदेश पारित किया जिस आदेश की अनुपालना में अपीलाण्ट ने अपनी तरफ से मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में बदलाव की कोई कार्यवाही राजस्व अधिकारियों से मिलकर नहीं करवाया न ही अपने स्तर से इस बाबत कोई कार्यवाही की गई।
3. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय चार को यह भलीभांति जानकारी व ज्ञान में था कि वादग्रस्त भूमि बाबत सिविल न्यायालय देसूरी द्वारा तारीख 02.03.2020 को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति को बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुयी है एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव किये जाने पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के साथ ही राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति को बहाल किया जा सकता है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय चार ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की परवाह किये बिना पटवारी हल्का नारलाई से राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करने की मृतक मूली का फौतेदगी नामान्तरकरण तारीख 30.12.2024 को भरवा दिया एवं उस नामान्तरकरण को रेस्पोडेण्ट संख्या पांच द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तारीख 28.01.2025 को स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 32/2025
उनवान : दौलत चौधरी बनाम स्व. मूलकी के का.मु. वारिसान कीकली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

4. यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या पांच सिविल न्यायालय देसूरी में स्वयं प्रतिवादी के रुप में पैरवी कर रहा है एवं उन्हें स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी रही है साथ ही रेस्पोडेण्ट संख्या पांच का अधीनस्थ कर्मचारी एवं प्रतिनिधि पटवारी हल्का नारलाई द्वारा स्वयं भी वाद में पक्षकार है एवं उसे भी स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2020 की जानकारी रही है उसके बावजुद रेस्पोडेण्ट संख्या पांच के कर्मचारी ने नामान्तरकरण जैर अपील भरकर रेस्पोडेण्ट संख्या पांच के पक्ष में पेश कर दिया ओर रेस्पोडेण्ट संख्या पांच ने भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक से चार मिलावट कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्तनीय है।
5. यह है कि नामान्तरकरण जैर अपील रेस्पोडेण्ट द्वारा भरवाने व स्वीकृत करवाने के बाद जमाबंदी में गलत रुप से रेस्पोडेण्ट संख्या एक से चार ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया एवं उसके आधार पर मौके की भौतिक स्थिति में भी बदलाव करने की नियत से अपीलाण्ट के द्वारा दावे के पूर्व जिस जमीन पर खेती की जा रही थी उस भूमि पर से अपीलाण्ट को बेदखल करने की कोशिश की एवं धमकी दी एवं यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि अब रेस्पोडेण्ट ने अपने खातेदारी में दर्ज करवा दिया है जिस कारण वे अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से लाठी के बल पर बेदखल करके रहेगी। इस पर अपीलाण्ट ने तारीख 16.07.2025 को पटवारी हल्का नारलाई से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा यह जानकारी हुयी कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक से पांच ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए रिकॉर्ड की स्थिति में फेर बदल कर दिया है और अब रेस्पोडेण्ट संख्या एक से पांच मौके की स्थिति में भी बदलाव करना चाहते है और इसी उद्देश्य से खातेदार बनकर रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को बेदखल करने की कोशिश कर रहे है एवं धमकी दे रहे है इस प्रकार अपीलाण्ट को नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी होते ही अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील एक माह के भीतर भीतर पेश करवायी जा रही है नामान्तरकरण जैर सिविल न्यायालय सुमेरपुर के आदेश दिनांक 02.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में शून्य यानि एब इनिशियो वोईड है। जिसके लिये कानूनन कोई म्याद नहीं है। लेकिन कानूनन कोई लेकुना नही रहें जिस कारण अपीलाण्ट की ओर से अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कण्डोन करने हेतु धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 28.01.2025 को खारिज फरमाया जावें।

अपील दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच बावजूद सम्यक सूचना एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी आदिनांक न्यायालय में उपस्थित नहीं आए है। अतः अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर अपील विवादित कृषि भूमि मूल खातेदार स्व. मूलकी देवी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 32/2025
उनवान : दौलत चौधरी बनाम स्व. मूलकी के का.मु. वारिसान कीकली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक 26.09.2018 को ही ज़रिए पंजीबद्ध हकतर्कनामा हस्तान्तरित कर दी गई थी एवं सिविल न्यायालय देसूरी द्वारा उक्त भूमि पर प्रदत स्थगन आदेश प्रवृत होते हुए भी अप्रार्थी संख्या पांच अर्थात् तहसीलदार देसूरी द्वारा स्व. मूलकी देवी की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार के पक्ष में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3217 स्वीकृत किया गया, जो, पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय देसूरी में मूलवाद आज भी लम्बित है, प्रारम्भतः ही शून्य एवं अवैधानिक है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी 16.07.2025 को ही हुई एवं यद्यपि ab initio void आदेश पर मियाद सम्बन्धि परिसीमा लागु नहीं होती है तथापि देरी के उपशमन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार कर प्रकरण को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करते हुए ज़ैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाए।

अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। मूल नामान्तरकरण अपील के सहवर्ती प्रस्तुत मियाद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के विरुद्ध कोई प्रतिकार/खण्डन नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों के विरुद्ध कोई प्रतिकुल धारणा कायम की जा सके। अतः देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

मूल अपील मीमों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम नारलाई स्थित जैर अपील कृषि भूमि में स्व. मूलकी देवी का 1/108 वां हिस्सा निहित था तथा स्व. मूलकी देवी की मृत्यु उपरान्त पटवारी हल्का नारलाई द्वारा दिनांक 30.12.2024 को आलोच्य फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 3217 दर्ज कर अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार के नामों की प्रविष्टि की गई तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा इस प्रकार ऑनलाईन दर्ज नामान्तरकरण को दिनांक 28.01.2025 को स्वीकृत किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन परीक्षण उपरान्त अपीलार्थी द्वारा अंकित इन कथनों की पुष्टि होती है जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण से सम्बन्धित कृषि आराजी का पूर्व खातेदार स्व. मूलकी देवी द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में हकतर्क द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका था, जो हकतर्कनामा दिनांक 26.09.2018 को उपपंजीयक कार्यालय देसूरी में पंजीबद्ध हुआ था।

अपील मीमों के पद संख्या 07 में अंकित है कि न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश देसूरी में उक्त हकतर्कनामें की वैधता बाबत एक वाद भी विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार देसूरी एवं पटवारी हल्का नारलाई भी प्रतिवादी के रुप में संयोजित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश देसूरी द्वारा पूर्वोक्त सिविल वाद के सहवर्ती प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 02.03.2020 को निर्णीत करते हुए मूल वाद के निस्तारण होने तक उभयपक्षकारों को विवादित कृषि आराजी की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबंद किया था। उक्त सिविल विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 43/2019 में पटवारी हल्का नारलाई तथा तहसीलदार देसूरी पक्षकार होने से उक्त निषेधाज्ञा दिनांक 02.03.2020

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 32/2025
उनवान : दौलत चौधरी बनाम स्व. मूलकी के का.मु. वारिसान कीकली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

से आबद्ध थे। किन्तु इसके उपरान्त भी दिनांक 28.01.2025 को आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3217 स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज परिवर्तन किए गए, जो अवैधानिक है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अपीलार्थी द्वारा जिस पंजीकृत हकतर्क दस्तावेज दिनांक 26.09.2018 के आधार पर जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण आज्ञा को चुनौति दी गई है, उक्त हकतर्क दस्तावेज की वैधता को सिविल न्यायालय देसूरी में ज़रिए सिविलवाद चुनौति प्रस्तुत की गई है तथा अपील मीमो के पद संख्या सात में अंकित विवरण तथा वक्त बहस अधिवक्ता अपीलार्थी के मौखिक कथनानुसार उक्त मूल सिविल वाद आदिनांक लम्बित होकर विचाराधीन है। अर्थात जब तक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत हकतर्कनामें की वैधता पर अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया जाता है, तब तक विधि की दृष्टि में यही उपधारणा की जा सकती है कि स्व. मूलकी देवी द्वारा ज़ैर अपील विवादित कृषि आराजी में अपने समस्त हक हकूक एवं अधिकार अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में ही हस्तान्तरित कर दिए गए थे, अतः उनकी मृत्यु उपरांन्त उक्त भूमि में स्व. मूलकी के वारिसों को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। इस प्रकार ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण स्व. मूलकी देवी के वारिसदारों के नाम किया गया इन्द्राज अवैधानिक है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है तथा पटवार मण्डल नारलाई के नामान्तरकरण संख्या 3217 के सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आज्ञा दिनांक 28.01.2025 को अपास्त किया जाता है एवं दिनांक 02.03.2020 की पूर्वस्थिति बहाल करने के निर्देश दिए जाते है।

साथ ही, तहसीलदार देसूरी को प्रकरण पुनप्रेषित करते हुए यह भी निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश देसूरी में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन मूलवाद के निस्तारण उपरान्त माफिक निर्णय अग्रिम कार्यवाही प्रभाव में लाए।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली